सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ऑन लाईन नं. RCMS 2019/00028

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : ओ.पी.जैन, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 11/2019

1. भरपुर सिंह पुत्र श्री करतार सिंह जाति जटसिख निवासी प्रतापपुरा तहसील सादुलशहर व जिला श्रीगंगानगर

अपीलार्थी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व सादुलशहर।

रेस्पोडेन्टस

"अपील विरूद्व आदेश तहसीलदार सादुलशहर दिनांक 04.02.2019 एवं इन्तकाल सख्या 404/22.02.2019 जिसकी रूह से अपीलांट के रकबा चक 34 पीटीपी तहसील सादुलशहर के मु0न0 9 के किला नम्बर 5 आदि में बिना मुआवजा व बिना कानूनी प्रकिया अपनाये रास्ता स्वीकृत करने तथा अपील विचारधीन होते हुए व स्थगन आदेश जारी होते हुए गलत व यकतरफा तौर पर बिना सुनवाई का अवसर दिये इंतकाल जेर अपील किया गया "

उपस्थित :

1.श्री कुलवन्त सिंह सन्धू अधिवक्ता अपीलार्थी

2.श्री गुरवीर सिंह बराड़ अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस

:: आदेश :: **दिनांक :– 13.08.2019**

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि बलविन्द्र सिंह पुत्र मलसिंह ने उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर.टी.एक्ट का पेश करते हुए अपनी भूमि चक 34 पीटीपी के खाता सख्या 47/45 मुरब्बा नम्बर 9 तथा मुरब्बा नम्बर 17 में कुल 3.865 हैक्टर किलावाईज दर्ज करते हुए अपीलांट के रकबा चक 34 पीटीपी के खाता संख्या 53/69, मुरब्बा नम्बर 9 के किला नम्बर 5/1 में 0.018 हैक्टर में रास्ता स्वीकृत करवाने के लिए आवेदन–पत्र पेश किया। 16 फीट चौड़ा व 0.018 फीट लम्बा, मुरब्बा नम्बर 9 के किला नम्बर 5/2 व अन्य भूमि के लिए स्वीकृत करवाने का कथन किया, इस पर अपीलांट ने पेश होकर जवाब पेश किया कि बलविन्द्र सिंह के रकबा के लिए पहले से ही रास्ता मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 25 से 21 स्वीकृतशुदा से बलविन्द्र सिंह अपने खरीदशुदा मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 21,20,11,10 से होकर मुरब्बा नम्बर 17 के शेष भाग में तथा मुरब्बा नम्बर 17 के साथ लगते मुरब्बा नम्बर 9 के अपने रकबा में प्रवेश करता है। किला नम्बर 17,24 पर आड पर पुलिया भी बनी हुई है। इस प्रकार किसी नये रास्ता की आवश्यकता नहीं है मगर अधीनस्थ न्यायालय ने बिना इन तथ्यों पर गौर किये बिना पटवारी तहसीलदार से रिपोर्ट मंगवाये पहले से ही रास्ता की सुविधा होते हुए भी अपीलांट की भूमि में से रास्ता स्वीकृत करने का आदेश दिनांक

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

23.01.2019 को पारित किया जबकि रास्ता में आने वाली भूमि के सम्बन्ध में कोई मुआवजा ही तय नहीं किया। इस पर अपीलांट ने दिनांक 23.01.2019 के खिलाफ अपील दिनांक 19.02.2019 को राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर कैम्प हनुमानगढ में पेश की, बलविन्द्र सिंह ने अपील से पूर्व ही केवियट लगवा रखी थी इस पर वह अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 19.02.2019 को हाजिर हो गया था तथा स्थगन प्रार्थना–पत्र का गलत तौर से विरोध किया मगर राजस्व अपील अधिकारी ने दिनांक 21.02.2019 को स्थगन आदेश ता फैंसला अपील जारी करते हुए रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखने का आदेश पारित किया गया तथा यह भी दर्ज किया गया कि बिना मआवजा दिये रास्ता स्वीकृत किया गया है। अतः विवाद को बढावा देने से रोकने के लिए स्थगन आदेश आवश्यक है। मगर इसके बावजूद तहसीलदार सादुलशहर जो कि अपील में भी पक्षकार है के द्वारा बलविन्द्र सिंह के प्रभाव में होने के कारण इंतकाल जेर अपील स्वीकृत कर दिया। अपीलांट की जिस भूमि चक 34 पीटीपी के मुरब्बा नम्बर 9 के किला नम्बर 5/1,4,7 में से रास्ता स्वीकृत किया गया तथा इंतकाल दर्ज किया गया। रास्ता की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने से अपीलांट वंचित होगा तथा रास्ता सरकारी कहलायेगा। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट के खिलाफ ही अपील लाना स्पष्ट है इस अपील में अन्य कोई व्यक्ति प्रभावित नहीं माना जा सकता। अतः अपील स्वीकार की जाकर आदेश अधीनस्थ न्यायालय निरस्त करने का आदेश फरमाया जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर ने अपने आदेश दिनांक 23.01.2019 द्वारा रास्ता को स्वीकृत किया गया था जिसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर कैम्प हनुमानगढ में पेश की जिस पर राजस्व अपील श्रीगंगानगर कैम्प हनुमानगढ द्वारा अपने आदेश दिनांक 21.02.2019 को स्थगन आदेश ता फैंशला अपील जारी करते हुए रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखने का आदेश पारित किया। तहसीलदार सादुलशहर द्वारा दिनांक 22.02.2019 को बिना मुआवजा तय हुए इन्तकाल दर्ज कर दिया। तहसीलदार राजस्व अपील अधिकारी के यहां विचाराधीन प्रकरण में पक्षकार होते हुए राजस्व अपील अधिकारी के आदेशो की अवहेलना करते हुए विधि विरूद्व इन्तकाल दर्ज किया गया है। इसलिए राजस्व अपील अधिकारी के अपील के निर्णय तक रिकॉर्ड की यथास्थिति रखी जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि इन्तकाल उपखण्ड अधिकारी के आदेशो की पालना में किया गया है। अपीलार्थी को contempt of court में जाना चाहिए था। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्तो द्वारा की गई बहस पर मनन किया तो पाया कि राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 21.02.2019 को ताफैंसला स्थगन जारी होने पर तहसीलदार सादुलशहर द्वारा भरा दिनांक 22.02.2019 को स्वीकृत किया गया इन्तकाल कूनन गलत है क्योंकि तहसीलदार सादुलशहर उक्त अपील में पक्षकार था। अतः तहसीलदार सादुलशहर द्वारा भरा गया इन्तकाल विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य है। जो राजस्व अपील

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अधिकारी श्रीगंगानगर के यहां विचाराधीन अपील के अन्तिम निर्णय के अध्याधीन रहेगा। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार सादुलशहर को भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 13.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ.पी.जैन)
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन),श्रीगंगानगर